राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

तेज करण बनाम राजस्थान राज्य ।
(एकलपीठ दाण्डिक द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-4252/2012)
.....

31.05.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री बीरी सिंह सिनसिनवार वरिष्ट अधिवक्त मय
श्री रोहन जैन, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री पीयुष कुमार, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी द्वारा यह द्वितीय जमानत का प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ वापिस लिए जाने के आधार पर निरस्त किया गया था कि प्रार्थी प्रकरण में आरोप पत्र/चालान प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त प्रक्रम पर प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता प्रार्थी बीरी सिंह का तर्क है कि सह अभियुक्त हेमराज की जमानत आदेश दिनांक-28.5.2012 द्वारा इस न्यायालय की सहपीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी का प्रकरण सह अभियुक्त हेमराज के प्रकरण से भिन्न नहीं है।उनका कथन है कि प्रार्थी के विरूद्ध अन्य कोई दाण्डिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, प्रार्थी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण के निस्तारण में समय लगना सम्भावित है। अत: प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जावे।

लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकारण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई मत अभिव्यक्त किये बिना विशेष: इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए

कि सह अभियुक्त हेमराज की जमानत आदेश दिनांक-28.5.2012 द्वारा इस न्यायालय की सहपीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी का प्रकरण सह अभियुक्त हेमराज के प्रकरण से भिन्न नहीं है।मैं प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जाना उचित समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी तेजकरण पुत्र ब्रह्मानन्द विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 50,000/-रूपये (अक्षरे पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व 25,000/-रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार) राशि की दो सुदृड़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा एवं यदि प्रार्थी अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे आरक्षी केन्द्र,बांरा सदर जिला-बांरा पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या- 212/2011 से सम्बन्धित प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे, किन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त अवधि में प्रार्थी किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह प्रार्थी की जमानत सुविधा को निरस्त कराने के लिए विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सके।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P.S.